


31.03.2020 तक जनपद सम्भल स्थित चंदौसी में उपयोग में आने वाली लेखन सामग्री कय करने हेतु कोटेशन आमंत्रित करने के सम्बंध में

दिनांक 15.10.2019

सुश्री सोनिका वर्मा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौसी/प्रभारी अधिकारी लेखन सामग्री ने, केन्द्रीय नाजिर की आख्या कि जनपद सम्भल स्थित चंदौसी एवं बाह्य न्यायालय गुन्नौर व सम्भल के उपयोग हेतु दिनांक 31.03.2020 तक उपयोग में होने वाली लेखन सामग्री जो कि संलग्न सूची में उल्लिखित है, को कय करने की आवश्यकता है। साथ ही नोडल अधिकारी कम्प्यूटर ने दिनांक 03.10.19 को इस आशय की आख्या दी है कि मानकों के अनुसार 80 जी. एम. से कम बजन का पेपर कम्प्यूटर में नहीं चलता है इसलिये 80 जी. एम. से कम का पेपर कम्प्यूटर व राइपराइटर हेतु न खरीदा जाये।

उक्त प्रभारी अधिकारी लेखन सामग्री के पत्र दिनांक 05.10.19 पर मा10 जनपद न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 10.10.19 द्वारा कय समिति को लेखन सामग्री कय करने हेतु आदेश दिया है। अतः सूची में उल्लिखित लेखन सामग्री को कय करने हेतु कोटेशन आमंत्रित हो। मय कोटेशन के अपनी आख्या दिनांक 20.10.19 तक समिति को उपलब्ध कराये।

आदेश की प्रति नजारत के नोटिस बोर्ड पर व प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश सम्भल स्थित चंदौसी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये।



अध्यक्ष,

कय समिति लेखन सामग्री,
जनपद सम्भल स्थित चंदौसी।